

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या:-14/प्रो-04-04/2024-

/पटना-15, दिनांक-

राज्य कर्मियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-7566 दिनांक-14.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित स्त्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक-04.04.2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग-1/2 के सेवानिवृत्त यांत्रिक अभियंताओं को 30 वर्षों की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वित्त विभाग, बिहार, पटना के वेतन पुनरीक्षण संकल्प संख्या-630 दिनांक-21.01.2010 की अनुसूची-1 में वर्णित ग्रेड पे० की उच्चतर क्रमिक ग्रेड वेतन का लाभ निम्नांकित विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम आई० डी० संख्या/जन्म तिथि/गृह जिला	योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतनमान 37400-67000/- ग्रेड वेतन 8900/- में स्वीकृत तृतीय एम० ए०सी०पी० की देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री अखिलेश शर्मा एम 0202/04.05.1953 /जहानाबाद	27.01.1979	31.05.2013	27-01-2009
2	श्री राम एकबाल चौरसिया एम 0207/17.08.1953/समस्तीपुर	30.01.1979	31.08.2013	01-09-2012
3	श्री वासुदेव प्रसाद एम 0329/09.02.1950/सिवान	03.02.1979	28.02.2010	03-02-2009
4	श्री रामाशीष शर्मा एम 0336/12.07.1951/ जहानाबाद	05.02.1979	31.07.2011	01-04-2010
5	श्री अवध किशोर शर्मा एम 0346/01.06.1951 /जहानाबाद	08.02.1979	31.05.2011	01-04-2010
6	श्री देवानन्द यादव एम 0383/30.05.1950/मधेपुरा	22.02.1979	31.05.2010	22-02-2009
7	श्री मो.सलीमुद्दीन एम 0404/09.07.1950/मुंगेर	06.02.1979	31.07.2010	06-02-2009



क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम आई० डी० संख्या/जन्म तिथि/गृह जिला	योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतनमान 37400- 67000/- ग्रेड वेतन 8900/- में स्वीकृत तृतीय एम० ए०सी०पी० की देय तिथि
1	2	3	4	5
8	श्री मृत्युंजय कुमार एम 0477 / 30.12.1953 / पटना	05.02.1979	31.12.2013	01-04-2013
9	श्री जीतेन्द्र झा एम 0489 / 02.01.1955 / मधुबनी	05.02.1979	31.01.2015	01-04-2011
10	श्री कृष्णानन्द मिश्र एम 0493 / 05.01.1955 / मधुबनी	05.02.1979	31.01.2015	01-04-2011
11	श्री किरीट माणिक मित्रा एम 0524 / 01.11.1950 / कटिहार	05.02.1979	31.10.2010	05-02-2009
12	चन्द्र शेखर सिन्हा एम 0536 / 31.12.1953 / जहानाबाद	03.02.1979	31.12.2013	01-04-2011
13	श्री विक्रमादित्य सिंह एम 0546 / 01.01.1952 / भोजपुर	08.02.1979	31.12.2011	08-02-2009
14	श्री शिव कुमार सिंह एम 0557 / 24.06.1951 / वैशाली	05.02.1979	30.06.2011	05-02-2009
15	श्री मदन कुमार सिंह एम 0602 / 12.12.1949 / भोजपुर	08.02.1979	31.12.2009	01-04-2009
16	श्री आदित्य प्रसाद एम 0627 / 07.07.1953 / प० चम्पारण	05.02.1979	31.07.2013	05-02-2009
17	श्री रण विजय बहादुर सिंह एम 0636 / 05.09.1953 / बक्सर	08.02.1979	30.09.2013	01-04-2009
18	श्री सिद्धनाथ शर्मा एम 0667 / 03.07.1949 / पटना	05.02.1979	31.07.2009 (मृत 07.09.09)	05-02-2009
19	श्री वीर बहादुर सिंह एम 0677 / 20.03.1955 / छपरा	08.02.1979	31.03.2015	01-04-2012
20	श्री प्रदीप कुमार गामी एम 0685 / 21.11.1954 / दरभंगा	03.02.1979	30.11.2014	01-04-2013
21	श्री प्रेमरंजन मिश्र एम 0692 / 12.03.1951 / गोपालगंज	26.02.1979	31.03.2011	26-02-2009
22	श्री दिनेश कुमार जायसवाल एम 0486 / 25.06.1952 / मुंगेर	09.02.1979	30.06.2012	09-02-2009
23	श्री सच्चिदानंद प्रसाद सिंह एम 0695 / 18.11.1952 / मुंगेर	12.02.1979	30.11.2012	12-02-2009

2. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका पारस्परिक वरीयता में कोई संबंध नहीं है।

3. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत उत्क्रमित ग्रेड वेतन में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं 630 दिनांक-21.10.2010 के आलोक में मौलिक नियमावली के नियम 22 (i), क (i) के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु संबंधित कर्मी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाता है कि वे प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन की तिथि को वेतन निर्धारण करायेगें अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से।

आदेश/अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अंदर यह विकल्प लिखित रूप से संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण को देना है।

4. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की नियमानुकूल वसूली कर ली जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(गुंजन कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:- 14/प्रो०-04-04/2024-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:- 14/प्रो०-04-04/2024-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक-3 (भूतल), पुराना सचिवालय, बिहार, पटना-15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:- 14/प्रो०-04-04/2024-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास, विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त

के आप्त सचिव-4, कौटिल्य मार्ग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव, (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना/सूचना एवं जन समर्पक पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना/सम्बन्धित सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-15, 16, 20, 22, 23 एवं 24, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:- 14/प्रो-04-04/2024-

2152

/पटना-15, दिनांक- 19.5.25

प्रतिलिपि- कार्यपालक/अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट/आई0 टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना Common integrated Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)